रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2005/आषाढ़ 14, 1927
No. 182] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2005/ASADHA 14, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2005

विषय : चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित सैकरिन के आयात पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की जांच की शुरूआत।

सं. 14/27/2004-डीजीएडी.— मैसर्स ए एस इंटरप्राइजेज, मुंबई, मैसर्स स्वाति पेट्रोकैमिकल्स प्रा० लि०, थाणे और मैसर्स वर्ध्यानी कैमिकल इण्डस्ट्रियल प्रा० लि०, गुजरात ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान तथा उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995(जिसे इसके बाद नियमावली कहा गया है) के अनुसार क आवेदन दाखिल किया है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सैकरिन के कथित पाटन के बारे में पाटनरोधी जांच आरम्भ करने का अनुरोध किया गया है ।

और चूंकि प्राधिकारी ने यह पाया है कि सम्बद्ध देश की सम्बद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं इसलिए प्राधिकारी जो घरेलू उद्योग को क्षति के परिणामस्वरूप, किसी आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने, जिसकी यदि वसूली की जाती है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लि पर्याप्त होगी, के लिए उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार उक्त आरोपित पाटन की एतद्द्वारा जांच प्रारम्भ करते हैं ।

घरेलू उद्योग

2. आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से टी पी एम कन्सल्टैंट्स, नई दिल्ली के माध्यम से मैसर्स एएस इण्टरप्राइजेज, मुंबई, मैसर्स स्वाति पेट्रोकेमिकल्स प्रा0 लि0, थाणे और मैसर्स श्री वर्ध्यानी कैमिकल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, गुजरात ने दायर की है । उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक के पास पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3)(क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी जांच करने हेतु मामला दायर करने का आधार है ।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद "सैकरिन " है (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध माल कहा गया है) जिसका भारतीय बाजार में चीन जनवादी गणराज्य (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के निर्यातकों द्वारा पाटन किया जा रहा है ।

4. सैकरिन एक गैर-पोष्टिक मीठा पदार्थ है और इसे चीनी का कम कैलोरी वाला प्रतिस्थापन माना जाता है । इसका उपयोग अनेक उद्योगों जैसे खाद्य एवं शीतल पेय, निजी देखरेख उत्पादों, टेबल-टौप स्वीटलर, इलैक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर्स, भेषजीय, इत्यादि में किया जाता है । यह उप-शीर्ष 29251100 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है । आवेदन में उल्लेख किया है कि संबद्ध उत्पादों का आयात उपर्युक्त उपशीर्षों के अंतर्गत किया जा रहा है । यह सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह जांच के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।

समान वस्तुएं

6. आवेदक ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित माल संबद्ध देशों कें मल के अथवा वहां से निर्यातित माल के समान है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सैकरिन और चीन जनवादी गणराज्य से आयातित सैकरिन तुलनीय, विशेषताओं जैसे माल की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टताओं, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के अनुसार तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । अतः जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित सैकरिन

पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित सैकरिन के समान माना जा रहा है ।

शामिल देश

6. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है ।

सामान्य मूल्य

7. प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि आवेदक ने चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हुए उचित समायेजनों के साथ भारत में उत्पादन की निर्मित लागत के आधार पर चीन में संबद्ध माल के सामान्य मूल्य का दावा किया है । प्राधिकारी यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 एवं 8 के आलोक में आवेदक के दावे की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं । प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध माल के सामान्य मूल्य पर आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन की निर्मित लागत के आधार पर प्रथम दृष्ट्या विचार किया है और प्राधिकारी द्वारा जांच शुरूआत करने के प्रयोजनार्थ इस पर विचार किया गया है ।

8. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक ने चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध माल के सामान्य मूल्य का दावा उत्पादन की निर्मित लागत के आधार पर किया है । इस प्रकार प्राधिकारी ने संबद्ध देश में संबद्ध माल के सामान्य मूल्य पर आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रथम दृष्ट्या विचार किया है और जांच के प्रयोजनार्थ प्राधकरी द्वारा इस पर विचार किया गया है ।

निर्यात कीमत

9. नियात् कीमत का दावा डीजीसीआईऐंडएस, कोलकाता तथा अन्य गौण स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है । निवल निर्यात कीमत निकालने हेतु कीमत समायोजनों का दावा निर्यातक देश को समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन हैंडलिंग और पत्तन प्रभारों, कमीशन इत्यादि के कारण किया गया है।

पाटन मार्जिन

10. इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि सम्बद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि सम्बद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में सम्बद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

क्षति एवं कारणात्मक संबंधः

11. आवेदक ने कथित पाटित आयातों की अधिक मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, बिक्रियों में घाटा और घरेलू उद्योगों की लाभप्रदत्ता में पर्याप्त गिरावट के परिणामस्वरूप हुई क्षति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इस बात के प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण आवेदक को वास्तविक क्षति हो रही है ।

जांच अवधिः

12. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 01.01.2004 से 31.12.2005 तक की है । तथापि, क्षति संबंधी जांच की अवधि में 2000-01 से 2003-04 की अवधि और जांच अवधि शामिल है ।

सूचना प्रस्तुत करनाः

13. संबंधित ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों तथा घरेलू उद्योग को पृथक रूप से लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें । वर्तमान जांच में भाग लेने के इच्छुक कोई अन्य पक्षकार निम्नलिखित को लिख सकते हैं-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011.

समय सीमा

14. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

16. उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार यथा प्रदत्त गोपनीय सूचना हेतु सभी हितबद्ध पक्षकार नियम 7(1) के अनुसार गोपनीय और अगोपनीय सार प्रस्तुत करेंगे ।

17. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उसे उचित अवधि के भीतर अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यंधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

डॉ० क्रिस्टी फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2005

Subject : Initiation of Anti-dumping investigations concerning imports of Saccharin originating in or exported from China PR.

No. 14/27/2004-DGAD.— M/s A S Enterprises, Mumbai, M/S Swati Petrochemicals Pvt. Ltd., Thane and M/s Shree Vardhyani Chemical Industrial Pvt. Ltd., Gujarat have filed an application before the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and for

determination of injury) Rules, 1995(herein after referred to as Rules) for initiation of anti dumping investigation concerning alleged dumping of Saccharin originating in or exported from China PR.

AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject country, injury to the domestic industry and causal links between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry:-

2. Application has been filed by M/s A S Enterprises, Mumbai, M/S Swati Petrochemicals Pvt. Ltd., Thane and M/s Shree Vardhyani Chemical Industrial Pvt. Ltd., Gujarat, through TPM Consultants, New Delhi on behalf of the domestic industry. As per the evidence available applicant has the standing to file the case for anti dumping investigation on behalf of domestic industry as per Rule 2(b) and Rule 5(3)(a) of Anti Dumping Rules.

Product under consideration:-

3. The product under consideration is "Saccharin" (herein after referred to as the subject goods) which is being dumped in the Indian market by the exporters from China PR (hereinafter referred to as subject country).

4. Saccharin is a non-nutritive sweetner and considered to be low calorie substitute for cane sugar. It is used in variety of industries such as food and beverage, personal care products, table-top sweetners, electroplating brightners, pharmaceuticals, etc. It is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings 29251100. The applicant has stated that subject goods are being imported under above mentioned sub-headings. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

Like articles:

5. The applicant has claimed that the goods produced by them are "like articles" to the goods originating in or exported from the subject countries. Saccharin produced by the domestic industry and imports from China PR are comparable, technically and commercially substitutable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Therefore,

for the purpose of investigation the Saccharin produced by the applicant is being treated as **like articles** of Saccharin imported from subject country within the meaning of the Anti Dumping Rules.

Country involved:

6. The country involved in the present investigation is China PR

Normal value:

7. The Authority notes that the applicant has claimed normal value of subject goods in China PR based on constructed cost of production with appropriate adjustments treating China PR as non-market economy. The Authority proposes to examine the claim of the applicant in the light of Para 7 and 8 of Annexure I of Anti Dumping Rules, as amended. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in China PR on the basis of constructed cost of production as made available by the applicant and it has been considered by the Authority for the purpose of initiation.

8. The Authority notes that the applicant has claimed normal value of subject goods in China PR on the basis of constructed cost of production. Thus the authority has prima facie, considered the normal value of the subject goods in subject country on the basis of information made available by the applicant and it has been considered by the Authority for the purpose of initiation.

Export Price:

9. The export price has been claimed on the basis of data obtained from Director General Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata and compiled from secondary sources. Price adjustments have been claimed on account of Ocean freight in the country of exports, port handling and port charges, commissions etc to arrive at the net export price. There is sufficient evidence of export price and the adjustments claimed by the applicant for the subject goods from the subject country.

Dumping margin:

10. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export price indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject country.

Injury and Causal Link :

11. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of fall in their market share because of increased volume of dumped imports, price undercutting, price underselling, lost sales and substantial decline in profitability for the domestic industries. There is sufficient prima-facie evidence of the material injury being suffered by the applicant caused by dumped imports from subject country.

Period of investigation:

12. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st January 2004 to 31st December 2005. The injury investigation period will however cover the periods 2000-2001 to 2003-2004 and the POI.

Submission of information:

13. The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority
(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Time limit:

14. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

INSPECTION OF PUBLIC FILE:

15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

16. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the Rule supra.

17. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

DR. CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority

2016 GI/05-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.